THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). Instructions have been issued not to renew, at present, any of the old passes after the date of their expiry. In the meantime a new list of organisations and individuals to whom passes may be issued on the basis of revised norms and criteria is under preparation.

समस्तीपुर दरभंगा लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना

1177. **श्री राम सेवक यादव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज को बड़ी लाइन (ब्राड गेज) में बदलने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : इस लाइन के लिए एक अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण एवं यातायात पुनर्मूल्यांकन हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच कर लेने के बाद ही इस निर्माण कार्य को आरम्भ करना सम्भव हो पाएगा । संसाधनों की उपलब्धता पर ही इस परियोजना का पूरा होना निर्भर करेगा ।

Insov Auto Limited

1178. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Company Law Board have investigated into the affairs of Insov Auto Limited; and

(b) if so, gist of the report of the said investigation and action taken thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). Investigation into the affairs of Insov Auto Limited under Section 237(b) of the Companies Act, 1956 is in progress.

Violation of Companies Act by Maruti Companies

1179. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether M/s. Maruti Limited, the Maruti Technical Services Limited, Maruti Heavy Vehicles (P) Limited have violated the provisions of the Companies Act; and

(b) steps taken by Government against these companies?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). According to the report received from the Registrar of Companies, Delhi and Haryana these companies have delayed in filing some of the returns under the Companies Act, 1956. Where there has been considerable delay additional filing fee under Section 611(2) of the Companies Act, 1956 have been levied. M/s Maruti Technical Services Private Limited has violated Section 212 of the said Act and question of prosecution is be being considered by the Registrar.

पैट्रोल की बिक्री पर डीलरों की कमीशन बढ़ाने की मांग

1180. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल, हाई स्पीड डीज़ल, ग्रीज़ और मिट्टी का तेल तथा अन्य स्नेहक पदार्थ बेचने वाले डीलरों न कमीशन की दर बढ़ाने की मांग की थी; यदि हां, तो कब और कितनी वृद्धि की मांग की थी;

(ख) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया; और

(ग) कमीशन की दरें अब क्या हैं और वे कब नियत की गई थीं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख). अखिल भारतीय पैट्रोलियम ट्रेडर्स संघ तथा अन्य डीलर्स अभिकर्ता संघ कमीशन की ऊंची दरें निर्धारित करने के लिए सरकार तथा सरकार द्वारा गठित तेल मूल्य समिति को समय समय पर प्रत्यावेदन भेजते रहे हैं।

उनकी मुख्य मांगें और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए गये निर्णय निम्नलिखित हैं :—

	उत्पाद	मुख्य मांग	सरकार द्वारा लिया गया निर्णय
(i)	पैट्रोल तथा डीजल तेल	(क) कमीशन की बढ़ी हुई दरें	न तो किसी तेल मूल्य समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गयी और न ही सरकार ने इसे स्वीकार किया।
		(ख) 1-7-1976 से लागू अन्तरालों में संशोधन करना	सरकार ने 1-4-1977 से अन्तरालों का संशोधित किया।
(ii)	मिट्टी का तेल	कमीशन के रूप में बीजक-बद्ध मूल्य का 7-1/2 प्रतिशत	सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।
(iii)	स्नेहक तेल तथा ग्रीस		तेल मूल्य समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इस आशय का अभिमत व्यक्त किया कि डीलर्स का लाभ बहुत अधिक है और स्नेहक तेलों पर प्रति किलो लीटर 1200 रुपये और ग्रीस पर प्रति मी० टन 1500 रुपये के कुल अधिक लाभ का सुझाव दिया है इसे 1-7-1976 से स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् संघ ने लाभ मार्जन की यथा मूल्य की दर निर्धारित करने के लिये प्रत्यावेदन दिया जिसे तेल मूल्य समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में स्वीकार नहीं किया। सरकार ने तेल मूल्य समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

(ग) (i) पैट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल तेल :

सभी प्रत्यावेदनों की जांच करने के पश्चात् तेल मूल्य समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर पैट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल तेल पर डीलरों की कमीशन की वर्तमान दरें 1-4-1977 से लागू की गयी हैं। ये निम्नलिखित हैं :—

मोटर स्पिरिट अन्तराल (किलो लि० में बिक्री वार्षिक)	कमीशन की दर (रुपये किलो लि०)
0—480	80
481—1080	50
1080 से ऊपर	35

(कमीशन की न्यूनतम दर 50 रुपये/किलो ली० है)

हाई स्पीड डीजल तेल

अन्तराल (किलो ली० में बिक्री, वार्षिक)	कमीशन की दर
0—600	50
601—1200	25
1200 से ऊपर	20

(एच० एस० डी० ओ० की कोई न्यूनतम दर नहीं है)

(II) मिट्टी का तेल

तेल मूल्य समिति की सिफारिशों के आधार पर ऐजेंटों मिट्टी के तेल के स्टाकिस्टों के लिए 1 जुलाई, 1976 से 8 रुपये प्रति किलो लि० और फुटकर विक्रेताओं के लिए 8 रुपये प्रति किलो लिटर पारिश्रमिक निर्धारित किया गया था। यह पारिश्रमिक राज्य सरकारों संघ शासित प्रशासनों द्वारा लगाये गये बिक्री कर और चुंगी कर आदि, बैरल ह्रास भत्ता, टपकन (लीकेज) लाने ले जाने तथा परिवहन लागत के अतिरिक्त है।

(III) स्नेहक तेल तथा ग्रीस

1 जुलाई, 1976 से स्नेहक तेलों पर प्रति कि० लीटर 1200 रुपये और ग्रीस पर प्रति मी० टन 1500 रुपये का शुद्ध मार्जन लाभ निर्धारित किया गया है।

Supply of Raw Material by I.D.P.L.

1181. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether I.D.P.L. is not supplying raw material to its units; and

(b) if so, the reasons and facts thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). I.D.P.L. is distributing bulk drugs produced by it to the non-associated formulators. Some of the bulk drugs produced by it are also supplemented by imports canalised through State Chemicals & Pharmaceuticals Corporation of India (CPC). A part of the bulk drug production is also consumed by IDPL in producing their own formulations. The value of total production, imports & supply of these bulk drugs to other non-associated formulators during 1975-76 and 1976-77 is as follows:—

(Rs. in crores)

	1975-76	1976-77
(i) IDPL own production of bulk drugs .	35·29	39·26
(ii) Imports of bulk drugs through CPC	10·13	7·96
(iii) Total availability with IDPL .	45·42	47·22
(iv) Value of bulk drugs utilized by IDPL for own production of formulations .	17·26	12·88
(v) Value of bulk drugs supplied to other non-associated formulators	28·16	34·34
(vi) Percentage of supplies to non-associated formulators to total availability with IDPL . . .	62%	73%